राजस्थान सरकार

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग

क्रमांक एफ 2(8)खा.वि. / स्था.प्र. / 2016 जयपुर, दिनांक 14.03.2024

आदेश

विभागीय आदेश दिनांक 10.10.2017 के द्वारा श्री अंशु तिवाड़ी, प्रवर्तन निरीक्षक को निलम्बित किया जाकर मुख्यालय जिला रसद कार्यालय, डूंगरपुर किया गया था तत्पश्चात विभागीय आदेश दिनांक 09.08.2018 के द्वारा श्री तिवाड़ी को निलम्बन से बहाल किया जाकर पदस्थापन आदेशो की प्रतीक्षा में मुख्यालय जिला कलक्टर, डूंगरपुर किया गया।

श्री अंशु तिवाडी के विरूद्ध राजस्थान असैनिक सेवाए (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) 1958 के नियम 16 के अंतर्गत विचाराधीन जांच को विभागीय आदेश दिनांक 23.12.2022 के द्वारा आरोप प्रमाणित नहीं पाए जाने के कारण प्रकरण समाप्त किया गया है।

अतः श्री अंशु तिवाड़ी, प्रवर्तन निरीक्षक की निलम्बन अवधि दिनांक 10.10.2017 से 08.08.2018 को नियमानुसार नियमित किया जाकर निलम्बन अवधि के शेष रहे वेतन का भुगतान जिला रसद कार्यालय, सीकर मे रिक्त प्रवर्तन निरीक्षक के पद के विरूद्ध किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

यह आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

14/3/24

(रामस्वरूप)

उपायुक्त एवं संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, खाद्य विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, विशिष्ठ शासन सचिव, खाद्य विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त खाद्य आयुक्त, खाद्य विभाग, जयपुर।
4. जिला रसद अधिकारी, सीकर।
5. श्री अंशु तिवाड़ी, प्रवर्तन निरीक्षक, जिला रसद कार्यालय, सीकर।
6. विभागीय जांच शाखा / ए.सी.आर. शाखा।
7. रक्षा पत्रिका।

14/3/24

उपायुक्त एवं संयुक्त शासन सचिव

E:\Hariram Jat 2023\Estt. (Enf)\ Orders, 2023\132